

## विवरण संख्या 2 की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

वर्ष 200९-10 (01-04-2009 से 31-3-2010 तक) के दौरान सरकार ने सरकारी संस्थाओं में 1444.77 लाख रुपये निवेश किये और इस अवधि में सहकारी समितियाँ और अन्य संस्थाओं से 4155.84 लाख रुपये लाभांश के रूप में प्राप्त किये । इस सम्बन्ध में विवरण संख्या 12 में निवेशों के ब्यौरे दर्शाए गये हैं ।

### **EXPLANATORY NOTES TO THE STATEMENT NO.2**

In 2009-10 (01-04-2009 to 31-3-2010) Government invested Rs. 1444.77 lakhs in the share capital of Corporations and dividend of Rs. 4155.84 lakhs received during this period from Cooperative Societies and other Institutions. Further details of investments are given in statement No. 12.

## विवरण संख्या - 5

### भारत सरकार द्वारा दिल्ली सरकार की ओर से दी गई गारंटियाँ

भारत सरकार द्वारा दिल्ली सरकार की ओर से गारंटियाँ दी गई हैं। संघ शासित क्षेत्र की सरकार को अपने समेकित निधि से गारंटियाँ देने का अधिकार नहीं है। तीय संविधान के अनुच्छेद 292 के अनुसार संघ क्षेत्र के प्रशासन हेतु भारत सरकार को गारंटी देने का अधिकार प्रदान है। गारंटी की आह्वान अवस्था में प्रारम्भिक रूप से भारत की समेकित निधि पर प्रभारित होगा, तत्पश्चात् वह रकम संघ राज्य क्षेत्र की सरकार से वसूल की जाएगी। गारंटियाँ आकस्मिक दायित्व के किस्म की हैं। वर्ष के दौरान किसी भी गारंटी का आह्वान नहीं किया गया है।

### STATEMENT No. 5

#### **GUARANTEES GIVEN BY THE GOVERNMENT OF INDIA ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF THE UNION TERRITORY OF DELHI**

Governments of Union Territories have no power to give guarantees on the security of their Consolidated Fund. Guarantees for the purpose of administration of Union Territories are given by Government of India under Article 292 of the Constitution of India. In the event of the guarantees being invoked, the payment will initially be a charge on the Consolidated Fund of India and the amount will subsequently be recovered from the Government of the Union Territory. The guarantees are in the nature of contingent liabilities. No guarantee was invoked during the year.

## विवरण संख्या 6 की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

शीर्ष "सरकारी लेखे " की उपयोगिता की व्याख्या नीचे टिप्पण 2 में वर्णित हैं। सारांश में "अन्य शीर्ष " सरकारी बहियों में सभी लेखा शीर्षों को दर्शाते हैं जहां सरकार का प्राप्त धन का पुनरादायगी अथवा भुगतान की राशियों का वसूली के दावे का दायित्व है।

2- सरकारी लेखा :- सरकारी लेखों के लिए लेखा पद्धत के अनुसार राजस्व तथा पंजीगज शीर्षों व अन्य लेन देनों के अंतर्गत जमा राशियों जिनके शेषों को वर्ष-वर्ष लेखों में अग्रसारित नहीं किया जाता है, उनको सरकारी खाता नामक एकल शीर्ष में बंद कर दिया जाता है इस वर्ष के अधीन शेष उन सभी लेखों के संचित परिणामों को दर्शाता है ताकि ऋण शीर्षों और आकस्मिक निधि के अधीन शेष को जोड़ने पर वार्षिक अन्त में अन्तिम शेष ज्ञात किया जा सके।

शीर्षों की गणना का विवरण वर्ष 2009-2010 के लिए सरकारी लेखा (1.4.2009 से 31.3.2010) तक की अवधि में वर्ष की समाप्ति पर निवल शेष को दर्शाता है।

### EXPLANATORY NOTES TO THE STATEMENT NO.6

The significance of the head " Government Accounts" is explained in Note 2 below. The other heads in the summary take into account the balances under all account heads in Government books where Government has liability to repay the money received or has a claim to recover the amounts paid.

2. Government Account:- Under the system of book-keeping followed in Government Accounts, the amount is booked under the Revenue and Capital heads and other transactions the balances of which are not carried forward from year to year in the accounts, are closed to a single head called 'Government Account'. The balance under the head represents the cumulative results of all such transactions so that after adding thereto the balance under Debt heads and Contingency Fund, the closing balance at the end of the year may be worked out and proved. The Government Account for 2009-10 showing the net amount at the end of the year is reflected in the Statement ' Computation of the Balances' for the period 1.4.2009 to 31.3.2010.

**FINANCE ACCOUNTS OF THE GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL  
TERRITORY OF DELHI FOR THE YEAR 2009-2010**

**CERTIFICATE OF THE CONTROLLER OF ACCOUNTS**

This compilation containing the Finance Accounts of the Government of National Capital Territory of Delhi for the year 2009-2010 (01.04.2009 to 31.03.2010) presents the accounts of receipts and disbursements for the purpose of the National Capital Territory of Delhi for the year, together with the financial results disclosed by the revenue and capital accounts, the account of the public debt and the liabilities and assets as worked out from the balances recorded in the accounts. The Appropriation Accounts of the Government of National Capital Territory of Delhi for the year for Grants and Charged Appropriations presented separately, supplement this compilation.

Subject to the observations in this compilation, it is certified that, to the best of my knowledge and belief, these Accounts are correct statements of the receipts and disbursements of the Government of National Capital Territory of Delhi for the year 2009-2010 (01.04.2009 to 31.03.2010).

New Delhi  
Dated

**( R.B. VASHISHT )  
CONTROLLER OF ACCOUNTS  
GOVERNMENT OF N. C. T. OF DELHI**

**COUNTERSIGNED**

New Delhi  
Dated

**(P.K. TRIPATHI)  
PRINCIPAL SECRETARY (FINANCE)  
GOVERNMENT OF N. C. T. OF DELHI**

# राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वर्ष 2009-2010 के वित्त लेखे ।

## लेखा नियंत्रक का प्रमाण पत्र

यह संकलन जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वर्ष 2009-2010 (01/04/2009 : 31/3/2010) के वित्त लेखे दिए गए हैं, उक्त वर्ष के दौरान सरकार की प्राप्ति और संवितरण लेखों तथा साथ ही राजस्व और पंजीगत लेखों द्वारा प्रकाश में आए वित्तीय परिणामों, लोक ऋणों के लेखों में अभिगत शेषों से परिकल्पित देयताओं तथा परिसंपत्तियों को प्रस्तुत करता है। अनदानों और प्रभात विनियोगों के लिए सरकार के उस वर्ष के विनियोग लेखे जो पथक प्रस्तुत किए गए हैं, इस संकलन के परक हैं।

इस संकलन में दिए गए अभिमतों के अधीन यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ये लेखे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वर्ष 2009-2010 (01/04/2009 : 31/3/2010) की प्राप्तियों और संवितरणों के सही विवरण हैं।

नई दिल्ली  
दिनांक:

(आर० बी० वशिष्ठ)  
लेखा नियंत्रक  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक:

(पी० के० त्रिपाठी)  
प्रधान सचिव (वित्त)  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

### विवरण संख्या 3 की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1998-99 तक केन्द्रीय सरकार ने जो राशि अल्प बचत वसुलियों के अंश के अंतर्गत जारी की वह कर्जे के रूप में थी। 01/04/99 से भारत सरकार द्वारा जारी अल्प बचत वसुलियां केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को विशेष प्रतर्भतियां के रूप में स्थापित कर दी गई हैं परन्तु संघ शासित क्षेत्र के लिए मुख्य शीर्ष जिसके अंतर्गत यह राशि क्रेडिट की जा सके का आबंटन नहीं किया गया। केन्द्र सरकार द्वारा निर्णय अक्टूबर 2000 तक अस्थाई तौर पर अल्प बचत वसुलियों का क्रेडिट कर्जे के तौर पर किया जा रहा है।

### EXPLANATORY NOTES TO THE STATEMENT NO.3

Upto 1998-99 the amount released by the Govt. of India, Ministry of Finance against share of Small Savings Collections was released in the shape of loans. With effect from 01.04.99, the Small Savings Collections are released by the Govt. of India in the shape of special securities issued to National Savings Fund of the Central Government. But in case of UTs the head of account under which this amount is to be booked/credited has not been allotted by the CGA in consultation with the Ministry of Finance ( Budget Division). Temporarily the amount of Small Savings Collections have been credited against loans , pending decision of Govt. of India/ CGA.